IJRAR.ORG E-ISSN: 2348-1269, P-ISSN: 2349-5138

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND ANALYTICAL REVIEWS (IJRAR) | IJRAR.ORG

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारतीय समाज में ट्रान्सजेंडर पहचान के अस्तित्व का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन

डॉ ललित कुमार,

पीएचडी, स्वतंत्र शोधकर्ता

सारांश

इस शोध पत्र का उद्देश्य भारतीय समाज में उपस्थित ट्रांसजेंडर पहचान के अस्तित्व का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करना है। इस प्रक्रिया में प्राचीन काल से वर्तमान काल तक के विभिन्न स्रोतों के अध्ययन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर पहचान की उपस्थिति कितनी प्राचीन है? उसका स्वरूप कैसा था और समय के साथ-साथ इसके स्वरूप में परिवर्तन आए हैं या यह वर्तमान में भी उसी स्वरूप में उपस्थित है? यह शोधपत्र यह भी जानने एवं समझने का प्रयास करता है कि भारतीय समाज में वर्तमान में उपस्थित ट्रांसजेंडर पहचान के विभिन्न स्वरूपों की उपस्थिति नवीन है या प्राचीन। इस अध्ययन में व्यापक स्तर पर विभिन्न काल के ऐतिहासिक ग्रन्थों के अध्ययन के माध्यम से प्राचीन से वर्तमान काल तक गहन अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

प्रमुख शब्द: समाज, ट्रांसजेंडर पहचान, विभिन्नता, ऐतिहासिक।

प्रस्तावना

नालसा निर्णय 2014 के पश्चात से ही ट्रांसजेंडर पहचान समाज एवं शैक्षिक वर्ग के बीच कोतूहल का विषय बना हुआ है। भारतीय समाज में सांस्कृतिक रूप से उपस्थित ट्रांसजेंडर को विभिन्न नामों से जाना जाता है जैसे हिजड़ा, किन्नर, अरावनी, जोग्ता-जोग्ति, कोथि इत्यादि। पूरे भारत में समूहिक रूप में सभी के लिए हिजड़ा शब्द का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में क़ानूनी रुप से अभी इन सभी पहचानों के लिए ट्रांसजेंडर शब्द का उपयोग किया जा रहा है। शैक्षिक वर्ग के लिए ट्रांसजेंडर पहचान के विषय में जानना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नालसा निर्णय 2014 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए सरकार को निर्देश दिए गए हैं। ट्रांसजेंडर पहचान के विषय में अधिक जानकारी की आवश्यकता है विशेषकर यह जानने की आवश्यकता है कि भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर समुदाया की उपस्थिति कितनी पुरानी है और उसका स्वरूप कैसा रहा है? वर्तमान में भारतीय समाज में सांस्कृतिक ट्रांसजेंडर पहचान स्पष्ट रूप से दिखाई देती है वह सदैव ऐसी ही थी या उसके इस स्वरूप से पूर्व विकास की एक लंबी यात्रा रही है? साथ ही साथ यह जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि तत्कालीन समय में ट्रांसजेंडर पहचान को किस रूप में देखा जा रहा था और किस प्रकार से परिभाषित किया जा रहा था। इस शोधपत्र में विस्तार से इन सभी विषयों पर सैद्धांतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्राचीन भारत में ट्रांसजेंडर पहचान

भारतीय इतिहास में प्राचीनतम लिखित साक्ष्य सिंधुघाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं परंतु उन लिखित अभिलेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधुघाटी सभ्यता के पश्चात सबसे प्राचीन लिखित साक्ष्य संस्कृत ग्रंथ ऋग्वेद के रूप में प्राप्त होता है। इतिसकारों के अध्ययन के अनुसार ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसापूर्व से 1000 ईसापूर्व माना जाता है। कई विद्वानों का मानना है कि भारतीय संदर्भ में ट्रांसजेंडर पहचान का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में "विकृत एवं प्रकृति" के रूप में मिलता है। परंतु ऋग्वेद के अध्ययन के दौरान इस संदर्भ को खोज पाने में असमर्थ रहे। 800 ईसापूर्व रचित संस्कृत ब्राह्मण ग्रंथ शतपत ब्राह्मण में ट्रांसजेंडर पहचान का पहला सबसे स्पष्ट प्रमाणिक विवरण प्राप्त होता है। शतपत ब्राह्मण में स्त्री एवं पुरुष से अलग तीसरी जेंडर पहचान को पुरुसिया के रूप में वर्णित किया गया है। पुरुसिया अर्थात ऐसा पुरुष जिसके लंबे बाल है लेकिन वह ना पुरुष और ना ही स्त्री है (शतपत

ब्राह्मण,5°1°2°14)। 1000 ईसापूर्व से 500 ईसापूर्व के बीच रचित संस्कृत ग्रंथ अथर्ववेद में हमें ट्रान्सजेंडर पहचान के विभिन्न विवरण प्राप्त होते हैं जैसे क्लीवै'वा (अथर्ववेद,8°6°7-11)। क्लीवै'वा को राक्षस के रूप में वर्णित किया गया है जिसे नवजात शिशुओं को ख़तरा बताया गया है।

सबसे अधिक विस्तृत रूप में हमें संस्कृत चिकित्सा ग्रन्थों में ट्रांसजेंडर पहचान का वर्णन प्राप्त होता है। ये ग्रंथ हैं चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक संहिता का रचना काल 500 इसापूर्व से 300 इसापूर्व के बीच आँका गया है। चरक संहिता में छः प्रकार के नपुंसकों को विवरण दिया गया हैं: वातिका, ईर्ष्याभिरती, वक्री, संस्कारवाही, पवणेंद्रिय, द्विरेतास, नरषंड और नारीषंड (चरक संहिता:4°2)। उन छः में से नरषंड और नारीषंड वर्तमान ट्रांसजेंडर पहचान के सबसे अधिक समानार्थी प्रतीत होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण संस्कृत चिकित्सा ग्रंथ सुश्रुत संहिता है। सुश्रुत संहिता का रचना काल 300 ईसापूर्व माना गया है। सुश्रुत संहिता में पाँच प्रकार के क्लीब का वर्णन प्राप्त होता हैं: ईर्ष्याका, कुंभिका, सौगंधिका, असेक्या, और षंड (सुश्रुत संहिता: 3°2°44-45)। यहाँ पर प्रयुक्त शब्द क्लीब नपुंसक शब्द का समानार्थी माना जा सकता है। सुश्रुत संहिता और चरक संहिता, दोनों ही ने षंड का वर्णन किया है। सुश्रुत संहिता में षंड के तहत ही पुरुषषंड और स्त्रीषंड की विशेषताओं का वर्णन किया है। संस्कृत चिकित्सा ग्रंथों में ट्रांसजेंडर पहचान के विषय में गुण एवं प्रकृति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह विवरण आश्चर्यचकित करने वाला है क्योंकि वर्तमान में ट्रांसजेंडर पहचान को जिस प्रकार से परिभाषित किया जाता है उसमें और संस्कृत चिकित्सा ग्रंथों में वर्णित विवरणों में काफी समानता देखने को मिलती है। इसका अर्थ यह माना जा सकता है कि तत्कालीन समाज में ट्रांसजेंडर पहचान के विषय में तत्कालीन विद्वानों ने गहन अध्ययन किया था। दूसरी अहम बात यह निकलकर आती है कि तत्कालीन समाज में ये सभी पहचाने स्पष्ट रूप से प्रकट थी।

अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ से हमें मौर्यकालीन शासन एवं समाज के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती हैं। अर्थशास्त्र का रचना काल 324 ईसापूर्व से 300 ईसापूर्व माना गया है। अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के ट्रांसजेंडरों को राजदरबार में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए सूचित किया गया है। यह महत्वपूर्ण विवरण है क्योंकि इससे हमें शासन व्यवस्था के विभिन्न पदों पर ट्रांसजेंडर लोगों की उपयोगिता के विषय में पता चलता है। यह उस भ्रम को भी तोड़ती है जिसमें जेंडर एवं प्रजनन क्षमता के आधार पर योग्यता को निर्धारित किया जाता है। 300 ईसापूर्व से 100 ईसापूर्व के बीच का काल अनेक धर्मसूत्र ग्रंथों की रचना का काल था। इस काल में गौतम धर्मसूत्र और वशिष्ठ धर्मसूत्र की रचना हुई थी। गौतम धर्मसूत्र में 24°43 और वशिष्ठ धर्मसूत्र में 17°52-53,19°35 में तृतीय प्रकृति के रूप में ट्रांसजेंडर पहचान के अस्तित्व एवं उनकी सामाजिक स्थिति का विवरण मिलता है। इन उल्लेखों से हमें तत्कालीन समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति एवं समाज का उनके प्रति व्यवहार पता चलता है।

तकरीबन 300 ईसापूर्व से 100 ईसापूर्व और उसके बाद के काल में बौद्ध धर्म एवं दर्शन ग्रंथों के संकलन की प्रक्रिया जारी रही। 200 ईसापूर्व के लगभग बौद्ध ग्रंथ विनयपिटक का संकलन हो चुका था। यह महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म ग्रंथ है क्योंकि इसमें बौद्ध भिक्षुओं के आचार-विचार एवं जीवन से संबंधित गतिविधियों के मार्गदर्शन के लिए नियम प्रस्तुत किए गए हैं। इसी ग्रंथ में स्त्री और पुरुष से अलग उभतोव्यंजंका और पंदका का वर्णन मिलता है। उभतोव्यंजंका और पंदका पद का प्रयोग ट्रांसजेंडर पहचान के लिए किया गया है(जैकसन, 1996)।

200 ईसापूर्व से 200 ईस्वी के बीच का 400 साल का समय साहित्यिक रचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसी काल में महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों की रचना हो रही थी वहीं दूसरी तरफ कामसूत्र और नाट्यशास्त्र जैसे ग्रंथों का संकलन हो रहा था। रामायण के उत्तरकाण्ड भाग में इल्ल और इल्ला का प्रसंग मिलता है। यह प्रसंग ट्रांसजेंडर पहचान को प्रस्तुत करता है। जहाँ पर किन्न पुरुष एवं किन्न स्त्री (वाल्मीकि रामायण: उत्तरकाण्ड) का विवरण दिया गया है जो ट्रांसजेंडर पहचान को प्रतिबिंबित करती है। दूसरा महत्वपूर्ण महाकाव्य महाभारत है। रामायण की अपेक्षा महाभारत में ट्रांसजेंडर पहचान को प्रदर्शित करने वाले विविध विशेषणों का प्रयोग अधिक मिलते हैं जैसे महाभारत में तृतीय प्रकृति (महाभारत:4°59), स्त्रिरूपणी या स्त्रीरूपम (महाभारत: 5°189°5) का प्रयोग ट्रांसजेंडर पहचान के लिए किया गया है। इसके आलवा महाभारत में तीन महत्वपूर्ण ट्रांसजेंडर पहचान वाले पात्र है बृहन्नला(विराट पर्व), शिखंडी (कर्ण पर्व) और अरावण। इसके अतिरिक्त कामसूत्र और नाट्यशास्त्र इस काल में रचित दो महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन द्वारा की गई है और यह ग्रंथ कामकला से संबंधित है। कामसूत्र में जेंडर के लिए प्रकृति पद का उपयोग किया गया। कामसूत्र में ट्रांसजेंडर पहचान के लिए तृतीय प्रकृति (कामसूत्र:2°9) पद का प्रयोग किया गया है। कामसूत्र प्रकृति के अनुरूप काम-आचरण का विस्तार से वर्णन प्रस्तुत करता है। नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना भरत मुनि द्वारा की गई थी। यह ग्रंथ अभिनय से संबंधित है। नाट्यशास्त्र के 24 वें अध्याय में जेंडर आधारित भूमिकाओं के अनुसार अभिनय के विषय में चर्चा की गई है। जहाँ पर पुरुष प्रकृति, स्त्री प्रकृति के साथ-साथ तृतीय प्रकृति की अभिनय भूमिकाओं का वर्णन किया गया है(नाट्यशास्त्र:24°68-69)। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें जेंडर संबंधित प्रयुक्त होने वाली शब्दावली में नज़र आती है। जेंडर के लिए अब प्रकृति शब्द का उपयोग किया जा रहा था।

100 ईसापूर्व से 200 ईसापूर्व के बीच का काल संस्कृत स्मृति ग्रंथों की रचना का काल रहा है। ये स्मृति ग्रंथ धार्मिक एवं सामाजिक नियमावली एवं आचार-व्यवहार संहिताओं के रूप में जाने जाते हैं। स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति को अधिक प्राचीन माना जाता है। मनुस्मृति के अध्याय तीन में ट्रांसजेंडर के जन्म के कारणों को परिभाषित किया गया है(मनुस्मृति:3°49-53)। इसके अलावा समाज में ट्रांसजेंडर के विषय में विभिन्न नियमों का उल्लेख किया गया है। अन्य स्मृति ग्रंथ जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति इन नियमों के संदर्भ में मनुस्मृति का अनुसरण करती हुई प्रतीत होती हैं। अन्य स्मृति ग्रंथों की अपेक्षा नारद स्मृति के स्त्री और पुरुष संबंध में 14 प्रकार के पंड का वर्णन प्राप्त होता है। ये हैं अनयापति, सलिना, मोघबीजा, आक्सीसा, मुखेभागा, वातरेतस, सेव्याका, ईर्ष्याका, देव-क्रोधत, रोगत,अभिसापद-गुरोह, पक्ष, वधरी, और निसर्ग(नारद स्मृति,12°14-18)। नारदस्मृति में ट्रांसजेंडर के लिए पंड पद का भी उपयोग किया जाता रहा है।

30 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर कुषाण शासकों का शासन था। कुषाणों के दौर में इतिहासकारों को अर्द्धनारीश्वर की शुरुआती रूप की मूर्तियाँ एवं अन्य चिन्ह प्राप्त होने लगते हैं(चक्रवर्ती,1986:146)। 300 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच गुप्त शासन काल में अर्द्धनारीश्वर की संकल्पना के पूरी तरह स्थापित हो जाने के ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त होते हैं(चक्रवर्ती,1986:146)। 100 ईस्वी के लगभग वररुचि नामक विद्वान द्वारा उभयाभिसारिका नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। उभयाभिसारिका नाटक विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस नाटक में एक महत्वपूर्ण पात्र ट्रांसजेंडर है। 900 ईस्वी में तमिल विद्वान पेरुनतेवरनार द्वारा तमिल महाभारत पराता वेंपा की रचना की थी। महाभारत के रूप में उन्होने अरावण के बलिदान के विषय में विस्तार से प्रस्तुत किया है। अरावण महाभारत में अहम ट्रांसजेंडर किरदार माना जाता है और आधुनिक सांस्कृतिक ट्रांसजेंडर समुदाय अरावणी स्वयं की पहचान को उसे जोड़ते हैं।

मध्यकालीन भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर पहचान

1206 ईस्वी में दिल्ली में तुर्क ममलुक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। इसके साथ भारत के उत्तरी क्षेत्र में तुर्कों का शासन शुरू हो गया। तुर्कों के शासन में ट्रांसजेंडर पहचान पहले के शासनों की अपेक्षा अधिक स्पष्टता से प्रदर्शित होने लगी। उनकी उपस्थिति शाही लेखन में स्पष्ट रूप से दर्ज़ पाई गई है। जैसे 1253 ईस्वी में सुल्तान नासिर अल-दीन महमूद ने अपने दरबार में ख़्वाजा सारा इमाद-उद-दीन को वकीलदार का पद दिया था। ख़्वाजा सारा शब्द का उपयोग ट्रांसजेंडर के लिए किया जाता था। इमाद पहला भारतीय मुसलमान था जिसे इतना बड़ा औहदा दिया गया था(कुमार,1994:45)। ख़्वाजासारा मलिक काफ़ुर अल्लाउद्दीन खिलजी का सैन्य कमांडर था, उसने पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया था(जैकसन,2003:171-175)। उसे ताज़-अल-दीन इज्ज़ दवला और हज़ार दिनारी का ख़िताब दिया गया था (डिग्बी,1990:419)। ख़्वाजासारा मलिक सरवर को सुल्तान फिरोज़ शाह तुग़लक ने दरबारी सेवा में शामिल किया था। वह अपनी योग्यता के दम पर धीरे-धीरे अहम औहदों पर पद्दोन्नि पाता गया। इसके अलावा सुल्तान अला-अल-दीन सिकंदर शाह तुग़लक और सुल्तान महमूद नासिर-अल-दीन शाह तुग़लक के दौर में वज़ीर के पद पर रहा था। सुल्तान मुहमद शाह द्वितीय तुग़लक ने 1393 ईस्वी में उसे जौनपुर का गवर्नर बनाया था। मलिक सरवर ने दिल्ली दरबार की राजनीतिक उथल-पुथल का लाभ उठाते हुए ख़ुद को जौनपुर का सुल्तान घोषित कर दिया और 1394 ईस्वी में शर्क़ी सल्तनत की स्थापना जौनपुर में की। वह 1399 तक जौनपुर पर शासन करता रहा(हंब्ली,1974:127)। 1400 ईस्वी में रामनाथ वैद्य वाकस्पति ने स्मृति रत्नावली नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में 20 प्रकार के षंड को विवरण विस्तार से दिया गया है। ये हैं: बदधा, निसर्गा, पक्षा, सपदि, किलका, स्तन्धा, ईर्ष्याका, सेव्याका, अक्सीप्ता, मोघबीजा, सलिना, अनयापति, मुखेभागा, वातरेतस, कुंभिका, पंड, नस्ता, असेक्या, सौगंधिका, षंड(वेलहेम,2010)।

1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध जीतने के बाद दिल्ली पर मुग़ल बादशाह बाबर का अधिकार हो गया। 1528 ईस्वी में बाबर की बेगम मरयम मकानी को दिल्ली लाने वाले दस्ते की ज़िम्मेदारी अंबर की थी। अंबर एक ट्रांसजेंडर था। अबुल फज़ल ने आइन-ए-अकबरी में कहीं पर भी उसके नाम का वर्णन नहीं किया। उसके विषय में दूसरे स्रोतों में वर्णन मिलता है। बाबर ने अंबर को इतिबार खान के टाइटल के साथ अपने दरबार में पदोन्नति दी। बाद में अंबर को दिल्ली का गवर्नर भी बनाया गया था(ब्लोचमैन, पृ°स° 442)। अंबर के लिए दूसरे स्रोतों में नज़ीर शब्द(हुमायूनामा, पृ°स°666) का उपयोग किया गया। 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी के बीच अकबर के शासनकाल में कई ख़्वाजासाराओं का स्पष्ट वर्णन मिलता है जैसे ख़्वाजा खास मलिक को इख़लास खान का टाइटल दिया गया था। उसकी मुग़ल दरबार में रैंक एक हज़ार थी(आइन-ए-अकबरी,1:162)। ख़्वाजा दौलत अकबर के दरबार के सबसे अधिक रसूकदार ट्रांसजेंडरों में से एक था। उसे पहले दौलत खान का टाइटल देकर पदोन्नति दी गई। बाद में उस नजीरुद्दौला का टाइटल देकर ख़्वाजासाराओं का प्रमुख बना दिया गया था। उसकी मृत्यु के समय उसके द्वारा अर्जित संपत्ति में दस करोड़ अशर्फ़ियाँ और तीन करोड़ से अधिक के विभिन्न प्रकार के आभूषण एवं अन्य क़ीमती सामान था(तुज़ूक-ए-जहांगीरी)। अकबर ने ख़्वाजा आग़ा को आगरा का फौजदार नियुक्त किया था(अकबरनामा,2:21)। अकबर ने अपने दरबारी ख़्वाजासरा इतिमाद खान को साम्राज्य के वित्तीय प्रशासन की कमान दी हुई थी। वह महत्वपूर्ण अधिकारी था जिसने बंगाल को जीता था (आइन-ए-अकबरी, 1:473)। 16 वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहासकर रिज़्कुल्लाहमुस्ताक़ी अपनी तारीख वाकियाता-ए-मुस्ताक़ी में शाही हरम का विवरण देते हुए लिखता

है कि ख़्वाजासरा यानि ट्रांसजेंडर को शाही हरम में एक सीमा तक आने की इजाजत थी वाकियाता-ए-मुस्ताक़ी, पृ°स°98)। सामान्यतः आम धारणा यह बनी हुई है कि मुग़ल शाही हरम की देखरेख का जिम्मा ट्रांसजेंडर के पास होता था। शाही हरम में उन्हें तैनात जरूर किया जाता था लेकिन एक सीमा तक ही उन्हें आने-जाने की इजाजत थी।

1626-27 ईस्वी के बीच मुग़ल उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान ख़्वाजासरा जवाहीर और नदीम ने मुग़ल बेगम नूरजहां की जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी(थकस्टोन,1999:442)। 1637 ईस्वी में औरंगजेब और दिलरास बानो बेगम की शादी में दिलरास बानो बेगम के पिता शाहनवाज़ खान सफई ने ख्वाजा ख़िदमतगार खान को तौफ़े में दिया था(मासिर-ए-आलमगिरी, पृ°स°58)। 1657-59 ईस्वी के बीच चल रहे मुग़ल उत्तराधिकार की लड़ाई में ट्रांसजेंडर ख़ादिम ख़्वाजा शाहबाज़, ख़्वाजा बसंत और ख़्वाजा मगुल अपने मालिकों के तरफ से लड़ाई में शामिल थे(फारुकी,2012:90)। 1704 ईस्वी में औरंगजेब का प्रमुख ख़ादिम ख़्वाजा ख़िदमतगार की मौत हो गई। वह औरंगजेब का हमउम्र आखरी इंसान था (फारुकी,2012:230-240)। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार उसकी मृत्यु के साथ ही मध्यकाल का अंत मानते हैं और उसके बाद के समय को आधुनिक काल के रूप में देखते हैं।

आधुनिक काल में ट्रान्सजेंडर पहचान

1744 ईस्वी में बेचराजी माता की स्तुति में काव्य रचनाओं की संकलन बौचेराजी पूरण के रूप में किया गया(मित्रा,1983:19)। वर्तमान में भारतीय सांस्कृतिक रूप से उपस्थित ट्रांसजेंडर समुदाय अपना संबंध बेचराजी से जोड़ते हैं। 1739-40 ईस्वी में छत्रपति शाहू जी महाराज द्वारा कुन्दन हिजड़ा नाम के ट्रांसजेंडर को पुणे के जेजुरी गाँव में वतन जागीर देने के प्रमाण हैं(जोंस, 2003:319)। 1771 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उनावों जिले में ख़्वाजासराई इल्मास अली खान ने मियां गंज शहर बसाया था। यह शहर उसका प्रशासनिक और सैन्य कार्यालय था(बेली,1983:319)। 1784 ईस्वी में गुजरात के स्थानीय शासक राजा मनाजीराव गायकवाड ने बेचराजी माता के बड़े मंदिर का निर्माण करवाया था(मित्रा,1983:19)। वर्तमान में यह परंपरागत ट्रांसजेंडर समुदाय लोगों के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। 1871 ईस्वी में ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ऑफ 1871 पास किया गया। इस क़ानून के भाग दो में परंपरागत ट्रांसजेंडर जिसे हिजड़ा के नाम से भी जाना जाता है, को आदतन अपराधी घोषित कर दिया। साथ ही उनके महिलाओं के कपड़े पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर नाच-गाने पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए(एक्ट नंबर 27 ऑफ 1871)। 1884 ईस्वी में 1871 के क़ानून के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय में साम्राज्य साम्राज्ञी बनाम खैराती का मुकदमा दर्ज होता है। ख़ैराती एक ट्रांसजेंडर था(एन°ए°एल°एस°ए° जजमेंट,2014:12)। 1919 ईस्वी में तेलंगाना क्षेत्र में ब्रिटिश भारत प्रशासन ने एक्ट 1871 की तर्ज पर तेलंगाना यूनक्स एक्ट 1919 लागू किया। इस एक्ट को तेलंगाना यूनक एक्ट 1329 के नाम से भी जाना जाता है। 1707 से 1947 ईस्वी के काल को आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में अध्ययन किया जाता है। 1947 से वर्तमान तक के समय को समकालीन इतिहास के रूप में अध्ययन किया जाता है।

समकालीन भारतीय इतिहास में ट्रांसजेंडर पहचान

15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पूर्णरूप से लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को धर्म,जाति, लिंग और क्षेत्र के भेदभाव के बिना जीवन का अधिकार प्रदान किया(भारतीय संविधान: प्रस्तावना, पृ°स°01)। भारतीय संविधान किसी भी भारतीय नागरिक के साथ लिंग आधारित किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध करता है लेकिन भारतीय राज्य व्यवस्था ने नागरिक पहचान को ब्रिटिश भारत की सरकार द्वारा निर्धारित स्त्री और पुरुष के रूप में जेंडर की द्विआधारी पहचान को अपना लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज में उपस्थित ट्रांसजेंडर पहचान क़ानूनी मान्यता से वंचित रह गई(सदाशिव,2011:01)। 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 को निरस्त कर दिया लेकिन ट्रांसजेंडर पहचान को क़ानूनी रूप से मान्यता प्रदान करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया (सदाशिव,2011:02)। 15 अप्रैल 2014 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने क़ानूनी रूप से ट्रांसजेंडर को तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सांस्कृतिक रूप से भारतीय समाज में उपस्थित ट्रांसजेंडर पहचान जिसमें हिजड़ा, किन्नर, कोथि जोग्ति-जोग्ता, अरावनी, शिव-शक्ति, अर्द्धनारी इत्यादि के साथ जेंडर द्विआधारी जेंडर पहचान से बाहर सभी जेंडर पहचाने तीसरे जेंडर के रूप में जानी जाएंगी। 5 दिसंबर 2019 को भारतीय सरकार द्वारा द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल 2019 क़ानूनी के रूप में लागू कर दिया। इस क़ानून के तहत ट्रांसजेंडर पहचान को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया:

"ट्रांसजेंडर व्यक्ति का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका जेंडर उसके जन्म के समय तय किए गए जेंडर के साथ मेल नहीं खाता और इसमें ट्रांसपुरुष और ट्रांसमहिला (चाहे उन्होंने सेक्स रीअसाइग्मेंट सर्जरी या हॉर्मोन्स थेरेपी या लेजर थेरेपी इत्यादि कराई हो या नहीं कराई हो), जेंडर-कुईर और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक पहचाने जैसे किन्नर,हिजड़ा,अरवनी, जोग्ता इत्यादि सम्मिलित हैं"(टीपीए,2019:04)।

निष्कर्ष

ऐतिहासिक ग्रंथों के अध्ययन से प्राप्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर पहचान की उपस्थिति के प्रमाण 3500 साल पूर्व से मिलने शुरू हो जाते हैं। अध्ययन में यह भी निकल कर आता है कि कैसे समय के साथ-साथ न केवल ट्रांसजेंडर पहचान के लिए प्रयुक्त की जाने वाली शब्दावलियों में बदलाव आता है बल्कि ट्रांसजेंडर पहचान के स्वरूपों में भी भिन्नता आने लगती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार द्वारा कानूनी रूप से मान्यता दी गए वर्तमान ट्रांसजेंडर पहचान और प्राचीन काल से समाज में चली आ रही ट्रांसजेंडर पहचान में काफी समानताएँ देखने को मिलती हैं। अध्ययन के आधार पर यह दावा नहीं किया जा रहा है कि प्राचीन काल से भारतीय समाज में उपस्थित ट्रांसजेंडर पहचान का स्वरूप और वर्तमान में क़ानूनी रूप से मान्य ट्रांसजेंडर पहचान एक समान है। अध्ययन में यह अवश्य निकल कर आता है कि भारतीय समाज में जेंडर धारणा में स्त्री और पुरुष के अतिरिक्त ट्रांसजेंडर पहचान का स्वरूप की उपस्थिति एवं स्वीकृति की ऐतिहासिक उपस्थिति रही है।

संदर्भ सूची

Abul Fazl. (1873). The Ain-i-Akbari of Abul Fazl Allami. In (translated by B.T.H. Blochmann) (Vol. 1). Asiatic Society of Bengal.

Abul Fazl. (1907). The Akbarnama Of Abul Fazl vol. 1 1907. In (translated by T.H. Bereridge) (Vol. 1). The Asiatic Society. https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.189288/2015.189288.The-Akbarnama-Of-Abul-Fazl--Vol-1_djvu.txt

Atharvaveda Samhita. (2009). Atharvaveda Samhita. In (ed. R. Roth and W.D. Whitney,Berlin 1856). GRETIL. http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/1_sam/avs_acu.htm

Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension, ACCENTED TEXT. (n.d.). Retrieved December 1, 2020, from http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/1_sam/avs_acu.htm

Badā'ūnī, Abd al-Qādir.(1986) Muntakhab al-Tavārīkh. Translated and edited by George S. A. Ranking, W. H. Lowe and Sir Wolseley Haig. 1884–1925. 3 vols; repr.Delhi: Renaissance Publishing House.

Bayly, C. A. (1988). Rulers, Townsmen and Bazaars: North Indian Society in the Age of British Expansion, 1770–1870 (Cambridge South Asian Studies, Series Number 28) (1st ed.). Cambridge University Press.

Buhler, G. (2017). The Laws of Manu. Pinnacle Press.

Caraka Samhita. (2000, October 31). Caraka Samhita, 4 vols. (Sanskrit and English Edition) by Priya Vrat Sharma (2000-10-31) (New edition). Chaukhambha Orientalia, India.

Chakravarti, M. (1986). The Concept of Rudra-Siva Through the Ages. (1st ed.). Motilal Banarsidass,.

Constitution of India,

https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15240/1/constitution_of_india.pdf

Dharmasutras. (2000). Dharmasutras: The Law Codes of Apastambha, Gautama, Baudhayana, and Vasistha (Tr. Patrick Olivelle) (1st ed.). Motilal Banarsidass.

Faruqui MD. The Princes of the Mughal Empire, 1504–1719. Cambridge University Press; 2012.

Faruqui, M. D. (2015). The Princes of the Mughal Empire, 1504–1719. Cambridge University Press.

Gulbadan Begum, Humayun Nama, ed. A.S. Beveridge in History of Humayun, New Delhi, 1983

Hambly, G. (1974). A Note on the Trade in Eunuchs in Mughal Bengal. Journal of the American Oriental Society, 94(1), 125–130. https://doi.org/10.2307/599739

Hinchy, J. (2014). Deviant Domesticities and Sexualised Childhoods: Prostitutes, Eunuchs and the Limits of the State Child "Rescue" Mission in Colonial India. In H. Choi & M. Jolly (Eds.), Divine Domesticities:

Christian Paradoxes in Asia and the Pacific (pp. 247–280). ANU Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt13wwvck.14

https://books.google.co.in/books?id=PqEIAAAAQAAJ&pg=PR1&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false

Jackson, P. (2003). The Delhi Sultanate: A Political and Military History (Cambridge Studies in Islamic Civilization) (reprint). Cambridge University Press.

Jackson, P. A. (2013). Male Homosexuality and Transgenderism in the Thai Buddhist Tradition. Buddhism.Lib.Ntu.Edu.Tw. Retrieved March 3, 2018, from http://buddhism.lib.ntu.edu.tw/museum/TAIWAN/md/md08-52.htm

Jahangir(1989), Tūzuk-i-Jahāngīrī, or, Memoirs of Jahāngīr. 2 vols(Rogers, Alexander, trans. and Beveridge, Henry, ed). New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 1989.

Jones,R. L.(2003). A Man of the Enlightenment in Eighteenth Century India: The Letters of Claude Martin, 1766–1800. New Delhi: Permanent Black.

Kangle, R. P. (2003). The Kautiliya Arthasastra. Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.

Kautiliya Arthasastra. (2000). Kautiliya Arthasastra [Sanskrit and Hindi]. In trans. by Udayveer Shastri. Meharachand Lakshman Das Publication.

Kumar, S. (1994). When Slaves were Nobles: The Shamsî Bandagân in the Early Delhi Sultanate. Studies in History, 10(1), 23-52. https://doi.org/10.1177/025764309401000102

Muni, B. (1956). The Nāṭyaśastra: Ascribed to Bharata-muni. Edited with an introduction and various readings by Manomohan Ghosh (Vol. 2). Asiatic Society of Bengal: Calcutta. https://archive.org/details/NatyaShastra/natya_shastra_translation_volume_2_-_bharat_muni/

Mushtaqui, S. S. R. U. R. M., & Siddiqui, I. I. H. H. S. (2022, October 1). Waqiat-e-Mushtaqui of Shaikh Rizq Ullah Mushtaqui (In Persian Language) (واقعات مشتاقی). Raza Library 2002/ SHAH M BOOK CO 2021-8187113480. Retrieved May 20, 2018 from https://archive.org/details/Waqiat-e-Mushtaqi/Waqiat-e-Mushtaqi/

Naradasmriti. (2003). Naradasmriti (Tr. by R. W. Lariviere). Delhi: Motilal Banarsidass.

Nirmal Mitra,N.(1983, Feburary 28). "The Making of a 'Hijra" " Onlooker National Newsmagazine, 22.

S. Digby (1990). "Kāfūr, Malik". In E. Van Donzel; B. Lewis; Charles Pellat (eds.). Encyclopaedia of Islam (2 ed.). Vol. 4, Iran–Kha: Brill.

Sarkar, J. (1947). Maasir-I-Alamgiri: A history of the Emperor Aurangzib Alamgir (reign 1658-1707 A.D.) of Saqi mustad Khan. In A History of the Emperor Aurangzib-'Alamgir (reign 1658—1707 a.d) OF SAQI MUSTAD KHAN. Royal Asiatic Society of Bengal. Retrieved November 12, 2018 from https://ia601604.us.archive.org/20/items/in.ernet.dli.2015.61973/2015.61973.Maasir-i--Alamgiri-1947_text.pdf

Satapatha-Brahmana 5. (n.d.). Retrieved September 9, 2020, from http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/2_bra/satapath/sb_05_u.htm

Sathasivam, P. (2011, February 12). Rights of Transgender People – Sensitising Officers to Provide Access to Justice. Tnsja.Tn.Gov.In. Retrieved December 26, 2015, from http://tnsja.tn.gov.in/article/Rights%20of%20Transgender%20PSJ.pdf

Simhadri, Y. C. (1991). Denotified tribes, a sociological analysis (1st ed.). Classical Pub. Co.

Susruta, S. (2012). An English Translation of the Sushruta Samhita, Based on Original Sanskrit Text, Vol. 3 (Classic Reprint). Forgotten Books.

Thackston, W. M.(1999). The Jahangirnama: Memoirs of Jahangir, Emperor of India by Jahangir (trans. By W. M. Thockston). New York, Oxford University Press, 1999.

The Andhra Pradesh (Telangana Area) Eunuchs Act, 1329 F. (n.d.). indiacode.nic.in. Retrieved January 2,2019 from https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/8633/1/act_16_of_1329_f.pdf

THE TELANGANA EUNUCHS ACT, 1329 F. (n.d.). Indiacode.Nic.In. Retrieved January 2, 2019, from https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/8633/1/act_16_of_1329_f.pdf

THE TRANSGENDER PERSONS (PROTECTION OF RIGHTS) ACT, 2019. (2019, December 5). www.transgender.dosje.gov.in. Retrieved December 12, 2019, from https://transgender.dosje.gov.in/docs/Transgender%20Act,%202019.pdf

Vālmīki: Rāmāyaṇa (GRETIL). (n.d.). Retrieved November 3, 2019, from http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/corpustei/transformations/html/sa_rAmAyaNa.htm

Vatsyayan. (2008). Kamasutra [Sanskrit and Hindi]. In trans. by Parasnath Dwiwedi. Chaukhambha Surbhartati Prakshan.

Vedvyas. (n.d.). Mahabharat (Vols. 1–6) [Sanskrit and Hindi]. Gita Press Gorakhpur.

Wilhelm, A. D. (2010). Tritiya-Prakriti: People of the Third Sex: Understanding Homosexuality, Transgender Identity And Intersex Conditions Through Hinduism (Abridged Version). XLIBRIS.

Yāska: Nirukta (GRETIL). (n.d.). Retrieved December 5, 2019, from http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/corpustei/transformations/html/sa_yAska-nirukta.htm